

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर  
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 84/2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

बनाम

मैसर्स चाय स्टॉल

दरगाह क्षेत्र, अजमेर

(श्री तैमूर पुत्र श्री शेख जुम्न निवासी बताशा गली, दरगाह क्षेत्र, अजमेर)

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 01.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.1.2023 को जिला रसद अधिकारी (प्रथम) के निर्देशानुसार उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के अभियान के तहत जांच दल तैमूर पुत्र श्री शेख जुम्न, चाय स्टॉल पहुँचे। उक्त फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1		अप्रमाणित गैस सिलेण्डर बिना आईएसआई मार्क वाला			

को कब्जेराज लिया गया। फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का चाय/नाश्ता बनाकर विक्रय करने के कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरुपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डर का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर श्री कालू खॉं, गुलाब गैस व

डॉ. भारती दीक्षित  
जिला कलक्टर, अजमेर


वैशाली नगर स्टीफंस चौराहा, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी मेले में स्टॉल आदि के संचालन हेतु अस्थायी रूप से दूसरे राज्य से आगमन करने से या भयवश जांच दल को अपना मूल पता नहीं बताया गया तथा मला समाप्ति पर अन्यत्र लौट जाने से वर्तमान में स्थायी पते की जानकारी नहीं होने से प्रकरण में सुनवाई की जावे।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 17.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये एक अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.01.2023 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(डॉ० भारती दीक्षित)  
जिला कलक्टर  
अजमेर